FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सुमेरसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी पालड़ी पिचकिया तहसील मूण्डवा जिला नागौर, राज0		राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या 32 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी, हुए
16.05.2022	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना थांवला द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 96/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा वाहन ट्रक नं. आर.जे.21 जीबी 5400 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दिनांक 25.05.2022 को न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत करावें। पत्रावली दिनांक 25.05.2022 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
25.5.22	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रिद्धकरण धोलिया उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश रोयल उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी. सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्धान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर आर.जे.21/जी.बी. 5400 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है अन्य कोई उक्त वाहन का मालिक दावेदार नहीं है। उक्त वाहन को प्रार्थी के वाहन को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 96/2022 पुलिस थाना थांवला जुर्म धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 प्रकरण में पुलिस थाना थांवला द्वारा अपनी तहवील में ले रखा है जिसकी सुपुर्दगी के लिए यह आवेदन वाहन सुपुर्दगी हेतु पेश किया है। पुलिस को प्रकरण हाजा में वाहन की आवश्यकता नहीं रही है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने में सख रखाव के अभाव में वाहन पड़ा पड़ा खराब होने की संभावना है। दौराने मुकदमा प्रार्थी न्यायालय द्वारा आरोपित शर्त व आदेश की पालना करेगा, तलब करने पर लाकर पेश कर देगा, खुर्द बुर्द गिरवी बेचान आदि नहीं करेगा। प्रार्थी उक्त वाहन के अभाव में भारी आर्थिक क्षति हो रही है यह वाहन ही प्रार्थी क परिवार के जीविकोंपार्जन का साधन है। इस प्रकार प्रार्थी को वाहन सुपुर्द किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। प्रार्थी माफिक आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पेश करने को तैयार होने का कथन करते हु वकील प्रार्थी ने उक्त जब्तसुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। कलक्टर, नागौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:10:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

फौजदारी प्रकीर्ण पत्र सं. 32/2022 सुमेरसिंह वि. सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25-5-22 (मंगलवार)		

अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आर.जे.21 जी.बी. 5400 से अनुसंधान पूर्ण है। वाहन को रिलीज कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत असल दस्तावेज बाद अवलोकन वकील प्रार्थी को लौटाये गये। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना थांवला के प्रकरण संख्या 96/2022 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना थांवला की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आर.जे.21/जी.बी. 5400 से अनुसंधान पूर्ण है। वाहन को रिलीज कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 13,00,000/–रुपये (अक्षरे रुपये तेरह लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर तुस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना थांवला को पुलिस थाना थांवला के प्रकरण संख्या 96/2022 में जब्त शुदा वाहन वाहन ट्रक संख्या आर.जे.21जी.बी. 5400 प्रार्थी सुमेरसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी पालड़ी पिचकिया तहसील मूण्डवा जिला नागौर, राज0 को उक्त जब्तशुदा वाहन अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।–

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।
3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी पुलिस थाना थांवला द्वारा उक्त वाहन व असल दस्तावेज प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पुलिस थाना थांवला की मूल केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:10:21 IST
Reason: SelfAttested

(पीयूष [illegible])

[illegible] नागौर